उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART –III, SECTION 4

F.NRC/NCTE/NRCAPP-4509/236th Meeting/2015/ 10051-055 Dated: 20 MAY 2015

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its **236th Meeting of the NRC held on 29-30 April and 1-2 May, 2015** is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic **session 2015-2016** under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No.	File No.	Name of Institutions	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-4509	Ram Rekha Rai Ganga Rai Mahila Mahavidyalaya, Plot No. - 343, Village - Rajiv Nagr, Post Office - Sadar Maharajganj, Tehsil - Maharajganj sadar, Dist.a - Maharajganj, State -UP – 273303	B.Ed.	2 Years	100 (2 Units)	Deendayal Upadhaya Gorakhpur University, Distt. Gorakhpur, Uttar Pradesh.

(i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time. The Institution shall fulfil the revised Norms relating to infrastructure, instructional facilities, enhanced amount of Endowment and Reserve Fund, Number and qualifications of Teaching Staff, Curriculum and implementation strategies in view of the change in duration/intake of programme(s) offered in the institution within the time limit allowed by NCTE.
(ii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
(iii) The institution shall comply with the condition as laid down in the clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 which provided that "An institution which has been recognized by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency approved by Council within five year of such recognition."
(iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
(v) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 the following norms have been prescribed for staff/ qualifications/administrative and professional staff/terms and conditions of service etc.

NORMS AND STANDARDS FOR BACHELOR OF EDUCATION PROGRAMME LEADING TO THE BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.) DEGREE – Regarding Staff

5.1 Academic Faculty

For an intake of two basic units of 50 students each, that is total students strength of 200, there shall 16 full-time faculty members.

4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan), Phone:(0141)- 2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173
E-mail. : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

The distribution of faculty across different curricular areas shall be as under:

1.	Principal / HOD	One
2.	Perspectives in Education	Four
3.	Pedagogy subjects (Maths, Science, Social Science, Language)	Eight
4.	Health and Physical Education	One
5.	Fine Arts	One
6.	Performing Arts (Music/Dance/Theatre)	One

Note: (i) The faculty positions listed under different subject categories may teach course(s) in the Teacher Education Programme across curricular areas specified, and can cater to both foundation and pedagogy course(s). If the students strength for two years is one hundred (with one basic unit) only, the number of faculty shall be reduced to 8.

(ii) Faculty can be utilized teaching in flexible manner so as to optimize academic expertise available.

5.2 Qualifications

The faculty shall possess the following qualifications:

A. Principal / HOD
- (i) Postgraduate degree in Arts / Sciences / Social Sciences / Humanities/Commerce with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. with minimum 55% marks; and
- (iii) Ph.D in Education or in any pedagogic subject offered in the institutions; and
- (iv) Eight years of teaching experience in a secondary Teacher Education Institution.

Desirable : Diploma/Degree in Education Administration or Educational Leadership.

B. Perspectives in Education or Foundation Courses
- (i) Postgraduate degree in Social Sciences with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. degree from a recognized university with minimum 55% marks.

OR

- (i) Postgraduate (MA) degree in Education with minimum 55% marks; and
- (ii) B.Ed./B.El.Ed. degree with minimum 55% marks.

C. Curriculum and Pedagogic Courses
- (i) Postgraduate degree in Sciences / Mathematics /Social Sciences/Languages with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. degree minimum 55% marks

Desirable : PhD degree in Education with subject specialisations.

[Note : In case of B and C put together, for two faculty positions, a postgraduate degree in Sociology/Psychology/Philosophy with 55% marks, and B.Ed. /B.El.Ed. with 55% marks and three years of teaching experience in a secondary school shall be considered].

D. Specialised Courses Physical Education
- (i) Master of Physical Education (M.P.Ed.) with minimum 55% marks. (Training/qualification in yogs education shall be desirable)

Visual Arts
- (i) Post graduate degree in Fine Arts (MFA) with minimum 55% marks

Performing Arts.
- (ix) Post graduate degree in Music/Dance/Theatre Arts with minimum 55% marks.

5.3 Administrative and Professional Staff

(a)	Librarian (B.Lib. with 55% marks)	One
(b)	Lab Assistant (BCA with 55% marks)	One
(c)	Office-cum-Account Assistant	One
(d)	Office Assistant-cum Computer Operator	One
(e)	Store-Keeper	One
(f)	Technical Assistant	One
(g)	Lab Attendants/Helpers/Support Staff	Two

Qualifications

As prescribed by State Government /UT Administration Concerned.

Note : In a composite institution, the Principal and academic, administrative and technical staff can be shared. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs.

5.4 Terms and conditions Service The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

The institutions shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014 and ensure the following before commencement of the session:-

(a) The institution which have submitted reply to Letter of Intent and appointed staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2009 with the approval of the affiliating body shall be required to modify/replace the required faculty as per provisions of the NCTE Regulations, 2014. The institution shall be required to submit the compliance report before the commencement of the session 2015-16.

(b) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 an institution is allowed/permitted to take two units at a time of a teacher education programme. Accordingly, the faculty requirements have been laid down for two units of the programme in the Regulations 2014 i.e. for 200 students in the first and the second year. However, those institutions whose applications are pending if opt for one unit i.e. 100 students in the first and second year, the requirement of faculty shall be reduced to eight out of which five lecturers i.e. one each for Science, Social Studies, Mathematics and two for Languages and one Health and Physical Education lecturer and one Performing/Visual Art Lecturer, and one Principal or Head of the Department shall be appointed. One of the lecturers may possess post graduation degree in Psychology/Philosophy/Sociology if the Principal/Head of the Department possesses PG degree in one of the school subjects.

(c) The institutions having applied for D.El.Ed. course are being granted recognition for one unit only, as the application made by the institution was for an intake of 50 students.

(i) The institutions whose applications were pending with the Regional offices before 1.12.2014 (the date of notification of Regulations, 2014), shall be considered for recognition as standalone institutions but they shall move gradually to become a composite institution but not later than 2016-17.

(ii) As per the guidelines issued by the NCTE Hq vide letter No. 51-4/2014/NCTE/N&S dated 24th December, 2014 the institutions shall be required to fulfil the requirement of additional staff, infrastructure by 31st October, 2015 in case recognition has been granted for two units of B.Ed. course. However in respect of B.Ed. programme, under new Regulations, 2014, there is a change in basic unit size and required infrastructure, staff pattern etc., the NRC shall cause inspection of the institution by 29 Feb., 2016 for ascertaining the fulfilment of infrastructure facilities. If the institution fails to comply with these requirements, the permission given for one basic unit out of two basic units shall be withdrawn.

4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

(i) Copy of the Application Form
(ii) Land and Building Particulars
(iii) Staff Profile
(iv) Recognition letter
(v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

7. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

(55)

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 176 /सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2018 दिनांक 25/05/2018

प्रेषक

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/ प्राचार्य,
रामरेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय,
राजीव नगर, महराजगंज।

विषय– रामरेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय, राजीव नगर, महराजगंज को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय द्वारा गत गत दो वर्षों का 60 प्रतिशत से अधिक परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित होने के कारण एक सत्र 2018–20 अर्थात् 1–7–2018 से आगामी दो वर्षो हेतु दो यूनिट अर्थात 100 सीटों की प्रवेश क्षमता की अस्थायी सम्बद्धता की संस्तुतिप्रदान कर दिया जाय, अतः यदि एक माह के अन्दर कमियां पूरी नहीं होती है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन रामरेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय, राजीव नगर, महराजगंज स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एक सत्र 2018–20 अर्थात् दिनांक 01.07.2018 से आगामी दो वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश सं0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर–2–2008–2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंत दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका सं0 61589/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।
5. कतिपय संस्थानों /महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा–तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बंद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लघंन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पत्रांक /सि0वि0वि0क0/सम्बद्धता/2018 /तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि0वि0वि0, सिद्धार्थनगर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 791 /सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2019 दिनांक 30/05/2019

प्रेषक

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
राम रेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय,
राजीवनगर, महराजगंज।

विषय– स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत संचालित हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एव गृहविज्ञान विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य अनुमोदन एवं गत तीन वर्ष का 60 प्रतिशत परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण–पत्र की पूर्ति करा लिये जाने के कारण सत्र 2019–20 अर्थात् 01.07.2019 से स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय, तथा महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर शासन द्वारा जारी सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन किया जायेगा अन्यथा ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन राम रेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय, राजीवनगर, महराजगंज को स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत संचालित हिन्दी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2019–20 अर्थात् दिनांक 01.07.2019 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1 महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।

2 महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3 संस्था शासनादेश सं0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनाक 02 जुलाई, 2003 एव 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर–2–2008–2(494)/2007 दिनाक 09 मई 2008 में उल्लिखित सुसंत दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

4 रिट याचिका सं0 61589/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।

5 कतिपय संस्थानों /महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यलाय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को निरन्तर पूरी कर रहा है।

6 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा–तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानो के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7 संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि मे सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

8 संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।

9 संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

10 संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

11 संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।

12 संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध मे अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशो मे दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

13 महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता की सस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लघंन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पत्रांक–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3 अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि0वि0वि0, सिद्धार्थनगर।
4 उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5 सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6 गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 217 /सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2017 दिनांक 30/05/2017

प्रेषक,

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/ प्राचार्य,
राम रेखा राय गंगा राय महिला
महाविद्यालय, राजीवनगर, महराजगंज ।

विषय– **राम रेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय, राजीवनगर, महराजगंज को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रमों सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम होने के कारण सत्र 2017–18 अर्थात् 1–7–2017 से आगामी तीन वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय, अतः यदि एक माह के अन्दर कमियां पूरी नहीं होती है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन **राम रेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय, राजीवनगर, महराजगंज में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रमों** स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2017–18 अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश सं0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर–2–2008–2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंत दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका सं0 61589/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यलाय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा–तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की **अस्थाई सम्बद्धता** की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लघंन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

पत्रांक /सि0वि0वि0क0/सम्बद्धता/2017 /तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि0वि0वि0, सिद्धार्थनगर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव